कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय (कॉपरेटिव) की बैठक सं0 18/2001 दिनांक 23-7-2001 को प्रातः 10·50 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1· श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
2· श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक (वित्त) जविप्रा, जयपुर ।
3· श्री आर· दयाल, निदेशक (अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
4· श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक (कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1· श्री हनुमान सिंह शेखावत, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
2· श्री हरिप्रसाद, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
3· श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक (कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) बीपीसी-II (कॉपरेटिव) की बैठक सं0 17/2001 दिनांक 13-7-2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु ।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी ।

(2) एजेण्डा आईटम -

2·1- एजेण्डा सं0 18/2001-1 :- छत्रपति शिवाजी गृ·नि·स· समिति की योजना श्रीरामनगर के संबंध में :-

छत्रपति शिवाजी गृ·नि·स· समिति की योजना श्रीरामनगर के संबंध में जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार करने के पश्चात् निम्न तथ्य उभर कर आये -

1· उक्त योजना पूर्व में बीपीसी-II (कॉपरेटिव) की बैठक दिनांक 26-6-85 के द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित है जिसमे योजना का क्षेत्रफल 53,966 व·ग· (17 बीघा 17 बिस्वा) है ।

2· पूर्व में खसरा नं0 1 ग्राम सहजपुरा रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा की 90 बी की कार्यवाही नहीं हुई थी जो कि अब हो गयी है ।

उक्त खसरा नं0 1 ग्राम-सहजपुरा की योजना में सृजित भूखण्डों को मूल योजना में सम्मिलित करते हुए निम्न निर्णय लिये गये -

·····2

1· उक्त खसरा नं0 1 में 50 भूखण्डों को अनुमोदित किया गया । भूखण्ड सं0 172 व 174 रोड़ में आने के कारण अनुमोदित नहीं किये गये ।

2· भूखण्ड सं0 94 से 99 व 135 से 177 बी को मौका स्थिति के अनुसार अनुमोदित रोड़ छोड़ते हुए अनुमोदित किया गया ।

3· म्युचुअल गृ·नि·स· समिति की योजना तारानगर बी से जो 40 फिट रोड़ इस योजना से मिलती है यह रोड़ इस योजना में मौके पर 20 फिट है अत: इसे भी 40 फिट करने का निर्णय लिया गया और रोड़ के केन्द्र बिन्दु से दोनों और 20'-20' लेकर इस रोड़ को 40 फिट किया जाये ।

4· जिन भूखण्डों का क्षेत्रफल मौके के हिसाब से अधिक है उनसे अधिक भूमि की राशि राजकीय भूमि मानते हुए नियमानुसार वसूल की जाये ।

5· भूखण्ड सं0 140 से 145 के सामने स्थित 40 फिट की रोड़ को तारानगर-बी योजना से मिलाने के लिए जो मौके पर घुमावदार रोड़ उपलब्ध है उसे अनुमोदित किया गया । पूर्व में यह रोड़ सीधी थी

6· पूर्व में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सुविधा क्षेत्र यथावत रखा जाये ।

2·2- एजेण्डा सं0 18/2001-2 :- संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्रीरामनगर-बी के संबंध में :-

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1· पूर्व अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड सं0 46 को आरक्षित दर्शा रखा है । चूंकि यह भूखण्ड खातेदार का है और इसमें पूर्व से ही भवन निर्मित है और इसका क्षेत्रफल आवासीय क्षेत्रफल गणना में सम्मिलित है । अत: इसे अनुमोदित किया गया ।

2· भूखण्ड सं0 113 एवं 128 यद्यपि मौके पर निर्मित है लेकिन अनुमोदित मानचित्र में यह स्थल सड़क है । अत: इन्हें अनुमोदित नहीं किया गया और सड़क को यथावत रखने का निर्णय लिया गया ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कोपरेटिव)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/भवनि/कोपरेटिव/2001/डी-188
दिनांक : 30/7/2001

प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3. निदेशक (आयोजना)/(अभियांत्रिकी)/(विधि)/(वित्त) जविप्रा, जयपुर ।
4. अति. आयुक्त (भू-रूपान्तरण) जविप्रा, जयपुर ।
5. उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय (कार्यकारी)
जविप्रा, जयपुर ।